रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2013/भाद्र 28, 1935
No. 480] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/BHADRA 28, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 642(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (योधक) (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी (सिविल) के समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी (सिविल) योधक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**:— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता**:—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) "शेप"–1 से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :–

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरणः–

एस – मनोवैज्ञानिक

एच – श्रवण शक्ति

ए – उपांग (अपैन्डेजेस)

पी – शारीरिक क्षमता

ई – दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा सूचित कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार हैः–

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य ।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों और आँखों का श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्षणता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(3) "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है ।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्‌टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

5. **निरर्हताएंः**– वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्तिः**– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्तिः**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **अन्य देशीय की अपात्रताः**— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा; परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति, नामांकन और नियोजन विवर्जित नहीं किया जाएगा ।

9. **सेवा की अन्य शर्तेंः**—(1) इस पद में नियुक्त किए गए व्यक्ति, सेवा की ऐसी अन्य शर्तों की बाबत जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित नहीं हैं, समय—समय पर यथा संशोधित सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के अध्यधीन होंगें।

(2) अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होते ही, उस योधक पद के लिए, जिस पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, समय—समय पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा विहित वर्दी पहननी होगी ।

10. **अधिवर्षिताः**— (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस मास के अंतिम तारीख को जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है अंतिम दिन के अपरान्ह में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर यथा विहित किए गए अनुसार सेवा निवृत्त होगाः

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने की पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निरीक्षक (संकर्म)	93* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, इंजीनियरी (सिविल) (योधक)	वेतन बैंड—2: 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता